

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—130/20 (2020/00233) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुवालाल पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. केसरलाल पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दयाराम पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नन्दु पत्नि जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पिता रूपा बैरवा निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ पिता कालु कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपा पिता सोहन कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पिता कस्तुर कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उदयराम पिता सवाईराम कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लादु पिता तलोक कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता आसु कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता हीरा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गंगाराम पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुरेश पिता नोला कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मगना पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. डालु पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नेनु पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. चम्पा पिता कजोड़ कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. बगतावर पिता कजोड़ कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. हीरा पिता हरू कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह —

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 19.11.2020

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 30में वर्णित आराजी संख्या 395 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 398 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 405 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 412 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 413 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 415 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 417 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 423 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 424 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 427 रकबा 0.14 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.63 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान



आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 17.09.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 16 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर सहमति व्यक्त की। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 30में वर्णित आराजी संख्या 395 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 398 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 405 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 412 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 413 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 415 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 417 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 423 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 424 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 427 रकबा 0.14 है0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.63 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भौलवाड़ा
रायपुर (मौलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—130/20 (2020/00233) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुवालाल पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. केसरलाल पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दयाराम पिता जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नन्दु पत्नि जोरू कुमावत निवासी खुटिया खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पिता रूपा बैरवा निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागीरथ पिता कालु कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपा पिता सोहन कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पिता कस्तुर कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उदयराम पिता सवाईराम कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लादु पिता तलोक कुमावत निवासी बाड़िया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता आसु कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता हीरा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गंगाराम पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुरेश पिता नोला कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मगना पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. डालु पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. नेनु पिता बरदा कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. चम्पा पिता कजोड़ कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. बगतावर पिता कजोड़ कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. हीरा पिता हरू कुमावत निवासी खुटियां खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 11.11.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया


जाता है कि ग्राम खुटियां खेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 30में वर्णित आराजी संख्या 395 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 398 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 405 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 412 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 413 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 415 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 417 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 423 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 424 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 427 रकबा 0.14 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.63 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।




(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाडा)